

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 56/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "डिजिटल संचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करने" के विषय पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 22 जून 2023- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने "डिजिटल संचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करने" के विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. कई देशों में विनियामक निकायों ने दूरसंचार तकनीकी नवाचार के लिए सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क की स्थापना की है। ये फ्रेमवर्क नियंत्रित वातावरण में नई अवधारणाओं का परीक्षण करने, छूट, भत्ते या समयबद्ध अपवाद प्रदान करने की अनुमति देते हैं। इन रूपरेखाओं का उद्देश्य आर्थिक लचीलेपन और उपभोक्ता संरक्षण के साथ नवाचार के लिए विनियामकों की इच्छा को बढ़ावा देना है। इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए रूपरेखा पर अनुशासित प्रदान करने का अनुरोध किया।

3. प्राधिकरण रचनात्मकता को बढ़ावा देने और डिजिटल संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने के उद्देश्य से इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग जैसी अन्य उभरती प्रौद्योगिकियां हमारे कनेक्ट करने, बातचीत करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रही हैं, जिससे डिजिटल संचार क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इस गतिशील वातावरण के साथ बने रहने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और बिजनेस मॉडल के विकास और तैनाती के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है।

4. विभिन्न उद्योगों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के तरीके के रूप में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रणनीति दुनिया भर में अधिक लोकप्रिय हो गई है। एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक विनियमित सेटिंग प्रदान करता है जहां कंपनियां और नवप्रवर्तक वर्तमान नियमों के तहत काम करते हुए अपनी

अवधारणाओं, वस्तुओं और सेवाओं का परीक्षण कर सकते हैं। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स दूरसंचार उद्योग में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को रीयल-टाइम नेटवर्क वातावरण और अन्य डेटा तक पहुंच प्रदान करके मदद करेगा ताकि वे नए अनुप्रयोगों को बाजार में जारी करने से पहले उनकी विश्वसनीयता का परीक्षण कर सकें। आरंभिक कंपनी को सभी स्वीकृतियाँ प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करने के लिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अन्य मंत्रालयों और विभागों की मदद से ऐसे परीक्षण करने के लिए क्रॉस-सेक्टरल सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है।

5. अपने परामर्श पत्र में, भादूविप्रा डिजिटल संचार के क्षेत्र में एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की संभावना की जांच करता है। परामर्श पत्र में वैश्विक स्तर पर डिजिटल संचार क्षेत्र में काम करने वाले कुछ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई है और देश के भीतर अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कुछ ढांचे का भी विवरण दिया गया है। परामर्श पत्र एक ड्राफ्ट सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क का प्रस्ताव करता है और उस पर हितधारकों की प्रतिक्रिया मांगता है। इस ड्राफ्ट सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क के लक्ष्यों और दायरे, प्रतिभागी पात्रता आवश्यकताओं, आवेदकों के लिए पूर्वापेक्षाएँ, अनुप्रयोगों के साथ आवश्यक सहायक सामग्री, आवेदन मूल्यांकन मानदंड, आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया, नियमों में छूट या संशोधन, वैधता अवधि, अनुमति का निरसन, रिपोर्टिंग, निरीक्षण निकाय, और सामाजिक विकास के लिए नवाचार के वित्तपोषण के बारे में जानकारी शामिल है।

6. हितधारकों से उनके विचार प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर प्रस्तुत किया गया है। ड्राफ्ट सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क पर हितधारकों से 17 जुलाई 2023 तक लिखित टिप्पणियाँ और 1 अगस्त 2023 तक प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

7. टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (बीबी एंड पीए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेल advbbpa@trai.gov.in पर, और एक प्रति jtadv-bbpa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार (बीबी एंड पीए) से दूरभाष क्रमांक +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।

हस्ताक्षरित
(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा